

'ओम बिड़ला के ओ.एस.डी. राजीव दत्ता पर लगे मानव तस्करी के आरोपों की जाँच गंभीरता और तीव्रता से करें'

राजस्थान हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले में दायर एफ.आई.आर. तथा परिवादों की जाँच ए.डी.जी. (अपराध)

दिनेश एम.एन. के निरीक्षण में की जाए

-रेणु मितल-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-

नई दिल्ली, 4, अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने ओएसडी राजीव दत्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत के निर्देशनुसार एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

जयपुर राजस्थान उच्च न्यायालय बैचने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के ओएसडी राजीव दत्ता, अर्चना झाला, दिनेश मुझानी व विदेशी राणा पुलिस अधीक्षक अजमेर के खिलाफ अजमेर मिस्ट्रेस एम.एन. कर्मण एवं याचिकाकर्ता इडवोकेट शेखर मेवाड़ा के खिलाफ दर्ज एफआईआर का अनुसंधान हाईकोर्ट ने एक दर्ज करने की आदेश दिया है। एफआईआर दर्ज करने की आदेश दिया है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कहा गया कि अजमेर, पाली, बूंदी और कोटा में इस मामले से जुड़ी एफ.आई.आर. व परिवाद दायर किया है, परन्तु कोटा में राजनीतिक दबाव के चलते उनकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कहा गया कि अजमेर, पाली, बूंदी और कोटा में इस मामले से एक दर्ज करने की आदेश दिया है।

- अदालत ने अपने आदेश में याचिकाकर्ताओं को कानूनी सुरक्षा देते हुए कहा कि इनके खिलाफ पुलिस प्रशासन बलपूर्वक या दफ्तरात्मक कार्यवाही नहीं कर सकता, जैसे कि उनकी गिरफ्तारी करना इत्यादि, जब तक अदालत ऐसी कार्यवाही करने की अनुमति नहीं देती या याचिकाकर्ता जाँच में सहयोग नहीं करते।
- याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कहा गया कि अजमेर, पाली, बूंदी और कोटा में इस मामले से जुड़ी एफ.आई.आर. व परिवाद दायर किया है, परन्तु कोटा में राजनीतिक दबाव के चलते उनकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई।
- याचिकाकर्ता का कहना है कि कोटा से जयपुर के रास्ते में उनके साथ अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जिसकी भी पुलिस ने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की।

जुड़ी एफ.आई.आर. व परिवाद दायर साथ अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जो एक दर्ज करने की आदेश दिया है। एफआईआर दर्ज करने की आदेश दिया है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कहा गया कि अजमेर, पाली, बूंदी और कोटा में इस मामले से एक दर्ज करने की आदेश दिया है।

दर्ज करने के निर्देश दिए एवं याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाहीयों पर रोक लगा दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के ओएसडी राजीव दत्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की आदेश दिया है। एफआईआर दर्ज करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। जस्टिस महेन्द्र गोविंद और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठे ने यह आदेश प्रकारण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंजन पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकार को दैवाने के ओर से सप्ताह का समय दिया गया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठे ने यह आदेश प्रकारण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंजन पर सुनवाई करते हुए दिए।

निम्न याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेन्द्र शाहिन्दियर ने न्यायालय को बताया कि ऊरुत एवं गांधी व्यक्तियों के खिलाफ सदर वर्दंदी, सुनील कामान एवं विदेशी राजीव दत्ता के खिलाफ एसपी बूंदी, रमेश आर्य (एसएसओ सदर वर्दंदी), सुनील कामान अन्य व्यक्तियों के खिलाफ एक दर्ज करने की आदेश दिया।

निम्न याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेन्द्र शाहिन्दियर ने न्यायालय को बताया कि ऊरुत एवं गांधी व्यक्तियों के खिलाफ सदर वर्दंदी, सुनील कामान अन्य व्यक्तियों के खिलाफ एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने के अधिवक्ता राजीव दत्ता के खिलाफ एसोसिएशन के अधिवक्ता राजीव दत्ता के खिलाफ एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत ने अदेश के अनुसार, एक दर्ज करने की आदेश दिया।

अदालत न

विचार बिन्दु

कृत्रिम सुख की बजाए, हमेशा ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिये। -अब्दुल कलाम

एस.आई.आर. पर रार, आर या पर

आ

जकल विद्यार की मतदाता सूचियों का एस आई आर (विशेष गहन उपरीक्षण यानि स्पेशल इंटीव्यू रिवीजन) चल रहा है। यह घूरे देश में सार्वाधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। चुनाव आयोग के अनुसार एस आई आर सभी राज्यों के लिए भी किया जाएगा। अतः देशवासियों के लिए यह समझना आवश्यक है कि यह क्या है और इसका प्रभाव होगा?

चुनाव आयोग के अनुसार एस आई आर, मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जिससे मूल, स्थाई रूप से प्रलयन करने वाले और अंग्रेजी लोगों के नाम मतदाता सूचियों से हटाए जाते हैं। इसी मूलताता सूची नई बाबू जी है और प्रथमक व्यक्ति को नियमन प्रक्रिया भरना वाले एल ओं के पास जमा करना चाही है। वी और द्वारा सबको अपलोड किया जाता है। चुनाव आयोग के अनुसार हर उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होगा जो भारत का नागरिक है और 18 साल से ऊपर है। जिस तरह से धरातल पर बिहार में यह कार्य चल रहा है, उसे देखकर, सभी विपक्षी दल एस आई आर को केवल लोगों के नाम काटने की प्रक्रिया बता रहे हैं।

निर्वाचन आयोग ने प्राप्त प्रत्येकों के आधार पर प्राप्त मतदाता सूचियों का प्रकाशन 1 अगस्त 2025 को किया है। 24 जून 2025 को उपलब्ध मतदाता सूचियों में कुल 7.89 करोड़ नाम अंकित थे जबकि ड्राफ्ट मतदाता सूचियों में कुल 7.24 करोड़ नाम हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कुल 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया को दलाता राजनीति से ऊपर उठते हुए मतदाता की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है।

प्रश्न यह नहीं है कि जिस मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, वे किस दल के हैं, अप्रूप यह कि भारत के प्रथमक सार्वाधिक नागरिक के नाम धम्यम से अपनी सरकार चुनने का अधिकार है या नहीं? यदि कोई भी कार्यवाही उठाए मताधिकार से वंचित करने का काम कर रही है तो यह बहुत गंभीर तात्पर्य है। यदि वातावर में इसके कारण लाखों लोग अपने मताधिकार से वंचित होते हैं तो यह ऐसे रोकने की आवश्यकता है।

हम एस आई आर की प्रक्रिया को थोड़ा सिलसिले वार समझने का प्रयास करते हैं। चूंकि प्रथमक व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त है, सामाजिक व्यापार की नीति में व्यक्ति को नियमन करने का काम चुनाव आयोग के नाम धम्यम से अपनी सरकार चुनने की नीति है। उसका मतलब यह है कि अप्रूप यह एक अंग्रेजी लोगों की अवश्यकता है।

इसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार यह होता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम एक स्थान पर मतदाता सूची में अंकित है, वह किसी कारण के द्वारा दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो मतदाता सूचियों के पुरानांकण के समय उसका नाम वहाँ भी जुट जाता है। इस प्रकार उसका नाम भी स्थान पर हो जाता है। यह वही पुराने स्थान से नाम कटवाने का प्रार्थना पता होता है तो यह उसका नाम नहीं कटता है। यह सब्द स्वयं का जब 1995 में जयपुर से डंगरपुर स्थानांतरण हुआ तो जयपुर में अपना नाम कटवाने के लिए, जिमेदार नागरिक की तरह आवेदन किया, विंतु इसकी कोई सुझा सूचना मुझे नहीं मिली। उसके बाद डंगरपुर में कलेक्टर के पद का भार ग्रहण करने के बाद मैंने वहाँ की मतदाता सूची में अपना नाम अंकित करने वें प्राप्ति नपा त्रिवित्या की व्यक्ति को भी अंकित ही गया। वहाँ मैंने मतदाता भी चुनाव आयोग के नाम धम्यम से अपने राज्यों में मतदाताओं की अवश्यकता है।

अब हम जरा बिहार की ही बात कर लें। 24 जून 2025 को उपलब्ध मतदाता सूची में यह

संख्या भी जब चुनाव हो जाए है। इस प्रकार उसका नाम भी चुनाव आयोग के नाम धम्यम से अंकित होता है। यहाँ पर उसकी सुझाई नहीं होती है। इसी कारण के लिए हमें यहाँ और इसके कई सबूत वीडियो और रिपोर्ट के द्वारा मीडिया में आये हैं, उससे तो यह लगता है कि निर्वाचन आयोग के व्यक्ति को भी अंकित होता है। 24 जून, 2025 की मतदाता सूचियों में, डाप्ट मतदाता सूची में 65 लाख लोगों के नाम काटे हुए हैं। आयोग की जांच है कि इसमें कोई भी नया नाम नहीं जोड़ा गया। मतदाता की नाम विवेशी नागरिक होने के आधार भी चुनाव आयोग के नाम धम्यम से अंकित होता है।

यदि इसी प्रकार की प्रक्रिया देश के सभी राज्यों में अपनाई जाएगी, जैसा कि निर्वाचन आयोग द्वारा कहा जा रहा है, तो संभावना है कि देश के 100 करोड़

मतदाताओं में से लगभग 10 करोड़ से अधिक मतदाता, मताधिकार से वंचित होते हैं।

जांगे। इसका तो यही अर्थ होगा कि वर्यक्त होने के बाद भी वे भारत के किसी

भी स्थान पर मत देने के योग्य नहीं माने जाएंगे। इन्हीं बड़ी संख्या किसी भी चुनाव में जीत हात के लिए निर्णयक सिद्ध होती है।

पारे एवं इसके कारण उनके भी नाम कट जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों की संभावित संख्या कुछ भी हो सकती है। एक अनुमान के अनुसार सभी जो डोकर लगाया डेढ़ करोड़ भी जब इस समय प्रारूप का प्रकाशन एक अंग्रेजी लोगों के नाम जोड़ने के लिए होता है। वहाँ पर उसकी सुझाई नहीं होती है।

जिन लोगों के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल हैं, उनमें से भी लाखों लोगों के नाम कटने की संभावना है। एक-एक व्यक्तियों का नाम 40 से पचास हजार मतदाताओं के नाम के अपेंगे “not recommended” लिखा है।

प्रश्न यह भी है कि जिस व्यक्तियों के नाम प्रारूप से मतदाता सूचियों में रहे हैं, वे सभी मताधिकार का उपयोग करते होंगे। यदि ये सब अंग्रेजी व्यक्ति की नीति हो जाएंगी? अब, एस आई आर नाम पर नागरिकों से अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए कहाना अथवा उनको आड़ में दस्तावेज मानिया किसी भी रूप में और्जित्य पूर्ण नहीं लगता है। वैसे भी जिस दस्तावेजों को निर्वाचन आयोग ने नागरिकता के प्रमाण के रूप में मान्यता दी है, उनसे कैसे नागरिकता सिद्ध होती है, यह चुनाव आयोग द्वारा सफ्ट नहीं किया जा रहा है।

जिन लोगों के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल हैं, उनमें से भी लाखों लोगों के नाम कटने की संभावना है। एक-एक व्यक्तियों का नाम जोड़ने के लिए यहाँ और इसके कई सबूत वीडियो और रिपोर्ट के द्वारा मीडिया में आये हैं, उससे तो यह लगता है कि इसमें कोई भी नया नाम नहीं जोड़ा गया।

यदि इसी प्रकार की प्रक्रिया देश के सभी राज्यों में अपनाई जाएगी, जैसा कि निर्वाचन आयोग द्वारा कहा जा रहा है, तो संभावना है कि देश के 100 करोड़

मतदाताओं में से लगभग 10 करोड़ से अधिक मतदाता, मताधिकार से वंचित होते हैं।

जांगे। इसका तो यही अर्थ होगा कि वर्यक्त होने के बाद भी वे भारत के किसी

भी स्थान पर मत देने के योग्य नहीं माने जाएंगे। इन्हीं बड़ी संख्या किसी भी चुनाव में जीत हात के लिए निर्णयक सिद्ध होती है।

‘आधार’ को भी 11 दस्तावेजों में शामिल नहीं किया गया है जबकि अब लगाया सभी सरकारी कार्यों के लिए ‘आधार’ को अनिवार्य कर दिया गया है। इसका कारण निर्वाचन आयोग द्वारा यह बताया जा रहा है कि इन लोगों ने फौजी आधार के बाबू करना चाहते रहे हैं। यह चुनाव आयोग द्वारा यह जारी किया गया है कि वे भारतीय मतदाता हों।

निर्वाचन आयोग यह तक है कि उनके भी नाम कट जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों की संभावित संख्या कुछ भी हो सकती है। एक अनुमान के अनुसार सभी जो डोकर लगाया डेढ़ करोड़ भी जब इस समय प्रारूप का प्रकाशन एक अंग्रेजी लोगों के नाम जोड़ने के लिए होता है। वहाँ पर उसकी सुझाई नहीं होती है।

जिन लोगों के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल हैं, उनमें से भी लाखों लोगों के नाम कटने की संभावना है। एक-एक व्यक्तियों का नाम 40 से पचास हजार मतदाताओं के नाम के अपेंगे “not recommended” लिखा है।

यदि इसी प्रकार की प्रक्रिया देश के सभी राज्यों में अपनाई जाएगी, जैसा कि निर्वाचन आयोग द्वारा कहा जा रहा है, तो संभावना है कि देश के 100 करोड़

मतदाताओं में से लगभग 10 करोड़ से अधिक मतदाता, मताधिकार से वंचित होते हैं।

यदि वातावर में निर्वाचन आयोग निष्पक्ष है और जिसी वारे विशेष को मतदाता सूचियों में संबंधित करने के लिए यहाँ पर उसकी सुझाई होती है। इसका कारण निर्वाचन आयोग द्वारा यह जारी किया गया है कि वे भारतीय मतदाता हों।

जिन लोगों को नाम करने से चुनाव आयोग द्वारा चाही है। इसका कारण निर्वाचन आयोग द्वारा यह जारी किया गया है कि वे भारतीय मतदाता हों।

यदि इसी प्रकार की प्रक्रिया देश के सभी राज्यों में अपनाई जाएगी, जैसा कि निर्वाचन आयोग द्वारा कहा जा रहा है, तो संभावना है कि देश के 100 करोड़

मतदाताओं में से लगभग 10 करोड़ से अधिक मतदाता, मताधिकार से वंचित होते हैं।

संपादकीय



मदन सरोड़े, भाजपा, प्रदेश
अध्यक्ष

और सबसे चिंताजनक बात यह

